रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I · खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112] नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 1976/ज्येष्ठ 26, 1898
No. 112] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 1976/JYAISTHA 26, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th June 1976

SUBJECT: *Recovery of interest from importers in respect of imports made under the direct payment procedure under foreign loans/credits/grants—Revision of rate.*

No. 46-ITC(PN)/76.—Licensing conditions applicable to the import licences issued under foreign loans/credits/grants contain a clause to the effect that the rupee value of the goods calculated at the composite rate of exchange should be deposited to the account of the Government of India within ten days from the date of receipt of the negotiable set of documents by the importers' bankers in cases where direct payment/commitment procedure is followed, and the cost of imported goods and services is paid for directly out of the foreign loan/credits/grant funds. The licensing conditions further provide that interest at the rate of 6 per cent per annum on the value of the goods for the period from the date of payment to the foreign suppliers upto the date of deposit of the rupee equivalent into the Government Account will have to be paid by the importers. These conditions are also included in the Bank guarantees furnished by the importers based on the licensing conditions.

2. It has come to notice that, in many cases the rupee deposits are not being made to the account of the Government of India within the time stipulated in the licensing conditions and in a number of cases the delay is for long periods. It is imperative that importers and their bankers should strictly adhere to the instructions contained in the

licensing conditions and discharge their obligations in the manner indicated in the licensing conditions. Government are concerned at such delays in making the rupee deposits by the importers.

3. As a measure to ensure compliance with the requirement that rupee deposits should be made within the prescribed period it has accordingly been decided that in respect of all deposits to be made on or after 15th June 1976, into Government account in the usual manner, interest should be received from the importers for the period from the date of payment to the foreign supplier to the date of rupee deposit to the Government account at the rates indicated below:—

(i) Cases where deposits are made within 30 days from the date of payment to the foreign supplier—9 per cent per annum.

(ii) Cases where rupee deposits are made more than 30 days after the date of payment to the supplier:

(a) for the first 30 days—9 per cent per annum.

(b) for period in excess of 30 days—15 per cent per annum.

The provision in this regard in the existing licensing conditions may be deemed to have been modified to this extent. Importers should also arrange to furnish amendments to existing Bank guarantees including the provisions relating to revised rates of interest now notified, within a month from the date of issue of the Public Notice.

P. K. KAUL,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 जून, 1976

विषय:—विदेशी ऋणों/साखों/अनुदानों के अन्तर्गत सीधे भुगतान क्रियाविधि के अन्तर्गत किए गए आयातों के संबंध में आयातकों से ब्याज की उगाही—दर में संशोधन ।

सं० 46 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76.—विदेशी ऋणों/साखों/अनुदानों के के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए लागू होने वाली लाइसेंस शर्तों में इस संबंध में एक वाक्यांश है कि मुद्रा की निश्चित दर पर गणना किए गए माल के रुपए में मूल्य को आयातकों के बैंकर द्वारा परक्राम्य दस्तावेजों के सेट की पावती की तारीख से 10 दिनों के भीतर ही सरकार के लेखे में जमा कराना चाहिए और यह उन मामलों में होगा जहां सीधे भुगतान/बचनबद्धता की क्रियाविधि को अपनाया जाता है और आयातित माल और सेवाओं की कीमत का भुगतान सीधे ही विदेशी ऋणों/साखों/अनुदान निधियों में से किया जाता है । लाइसेंस की शर्तों में आगे यह भी व्यवस्था है कि विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तारीख से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तारीख तक की अवधि के लिए माल के मूल्य पर 6% वार्षिक दर पर ब्याज भी आयातकों द्वारा अदा करना होगा । लाइसेंस शर्तों पर आधारित आयातकों द्वारा दी गई बैंक गारंटी में भी ये शर्तें सम्मिलित हैं ।

2. यह देखने में आया है कि कई मामलों में लाइसेंस शर्तों में निर्धारित समय के भीतर भारत सरकार के लेखे में रुपये निक्षेप नहीं किए जाते हैं और कई मामलों में बिलम्ब लम्बी अवधियों तक होता है । यह अनिवार्य है कि आयातक और उन के बैंकरों को चाहिये कि वे लाइसेंस

शर्तों में निहित अनुदेशों का सख्ती से पालन करें और लाइसेंस शर्तों में संकेतित विधि से अपने आभारों को पूरा करें। आयातकों द्वारा रुपया निक्षेप करने में ऐसे विलम्ब पर सरकार चिंतित है।

3. रुपया निक्षेप निर्धारित अवधि के भीतर किए जाएं इस आवश्यकता के अनुपालन का सुनिश्चय करने के विचार से तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि सरकार के लेखे में 15-6-76 को या इस के बाद सामान्य विधि से किए जाने वाले सभी निक्षेपों के संबंध में आयातकों से ब्याज नीचे संकेतित दर पर विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तारीख से सरकार के लेखे में रुपया निक्षेप करने की तारीख तक की अवधि के लिए किया जाना चाहिए :—

(i) वे मामले जिन में निक्षेप विदेशी संभरक को भुगतान की तारीख से 30 दिनों के भीतर किए जाते हैं . . 9% वार्षिक

(ii) वे मामले जिन में निक्षेप विदेशी संभरक को भुगतान करने की तारीख से 30 दिनों के बाद किए जाते हैं:

(क) प्रथम 30 दिनों के लिए . . 9% वार्षिक

(ख) 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए . . 15% वार्षिक

वर्तमान लाइसेंस शर्तों की इस से संबंधित व्यवस्था को इस सीमा तक संशोधित किया गया समझा जाए। आयातकों को इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से लेकर एक मास की अवधि के भीतर अब अधिसूचित ब्याज की परिशोधित दर से सम्बद्ध व्यवस्थाओं सहित वर्तमान बैंक गारंटी के लिए संशोधनों को प्रस्तुत करने की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

पी० के० कौल,

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976